

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-360/15
संस्थापित दिनांक-04.11.2015
Filling num-235103002672015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- पतराम पुत्र देवीसिंह उम्र 60 साल निवासी - ग्राम उमरिया तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0आरोपीगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 21.11.2017 को घोषित)

01- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 324, 506 भाग-2 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 25.01.2015 को समय करीब 2 बजे थाना चंदेरी अन्तर्गत ग्राम उमरिया में फरियादी के घर के पीछे सार्वजनिक स्थान पर फरियादी आशाराम यादव को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं आशाराम की धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं आशाराम को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर क्षोभ कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी एवं अभियुक्त के मध्य दिनांक **21.11.2017** को राजीनामा हो जाने से आरोपी पतराम को भा.द.वि की धारा 294, 506 भाग दो भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी आशाराम ने अपनी अपनी व भतीजा नेता के साथ थाना आकर जुबानी रिपोर्ट किया आज दिनांक 25.01.2015 को दोपहर 2 बजे वह अपने घर के पास पत्थर का कोट उठा रहा था, वही उनके घर से लगी उनके चचेरे भाई पतराम यादव की जमीन है, पतराम यादव हाथ में कुल्हाड़ी लिये आया व उससे बोला कि यह कोट मत उठाओ उनकी जमीन है, आशाराम ने कहा कि उसकी है व कोट उठाने के लिये पत्थर उठाये इतने में पतराम ने उसे कुल्हाड़ी मारी जो उसके सिर में सामने माथे के उपर लगी व दुसरी कुल्हाड़ी मारी

जो उसके बांये हाथ की कोहनी में लगी, चोट होकर खून आ गया व सिर में चोट लगकर खून निकलने लगा व उसे उठाकर पटक दिया व खचौर कर अपने खेत में ले गया और मां बहन की अश्लील गालियां देने लगा, मौके पर भतीजा नेता व सुखराम व बहुत से लोग आ गये थे, जिन्होंने उसे बचाया व पूरी घटना देखी, फिर बोला रिपोर्ट करने गया तो जान से मार दुंगा। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 25.01.2015 को समय करीब 2 बजे थाना चंदेरी अन्तर्गत ग्राम उमरिया में फरियादी के घर के पीछे सार्वजनिक स्थान पर फरियादी आशाराम यादव को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी आशाराम अ0सा01 ने अपने न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी को जानता है। घटना करीब 2 वर्ष पहले की होकर करीब 2 बजे की है। घटना दिनांक को वह अपने घर के पीछे पत्थर का कोट बना रहा था। वही उनके घर से लगी उनके चचेरे भाई पतराम यादव की जमीन है। जब उसने कोट उठाने के लिये पत्थर उठाए थे, तो पतराम उसके साथ गाली गलौच करने लगा और वाद विवाद में पत्थरों पर गिर जाने से उसके सिर के सामने माथे पर व बांये हाथ की कोहनी पर चोट आ गई थी। घटना के समय घटना स्थल पर अन्य कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। उक्त घटना के संबंध में उसने थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटना पर आई थी और घटना का मानचित्र प्र.पी.2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे और उसकी चोटों का मेडिकल कराया था, इसके अलावा आरोपी ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर फरियादी आशाराम अ0सा1 ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि पतराम हाथ में

Criminal Case No-360/15
Filing no-235103002672015

कुल्हाडी लिये आया और उससे कोट उठाने से मना किया। इस बात से इंकार किया कि आरोपी पतराम ने उसके सिर में कुल्हाडी मारी थी जो उसके सिर में सामने माथे के उपर लगी व दुसरी कुल्हाडी मारी जो मेरे बांये हाथ की कोहनी में लगी खून निकलने लगा व मुझे उठाकर पटक दिया और खचोरकर उसके खेत में ले गया। इस बात से इंकार किया कि घटना के समय मौके पर भतीजा नेता व सुखराम यादव एवं अन्य बहुत से लोग आ गये थे जिन्होंने उसे बचाया व पूरी घटना देखी। साक्षी को उसका पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 का ए से ए एवं बी से बी भाग व पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढकर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट व कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि उसका आरोपी से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है और उसे बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा है।

08— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर स्वयं फरियादी आशाराम अ0सा01 द्वारा अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उक्त साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया है कि गाली गलौच व वाद विवाद में पत्थरो पर गिर जाने से उसके सिर के सामने माथे पर व बांये हाथ की कोहनी पर चोट आ गई थी। आरोपी ने उनके साथ कोई छ टटना कारित नहीं की। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 25.01.2015 को समय करीब 2 बजे थाना चंदेरी अन्तर्गत ग्राम उमरिया में फरियादी के घर के पीछे सार्वजनिक स्थान पर फरियादी आशाराम यादव को धारदार हथियार कुल्हाडी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित। अतः आरोपी पतराम पुत्र देवीसिंह के विरुद्ध धारा 324 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

09— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

10— प्रकरण में जप्तशुदा एक एक लोहे की कुल्हाडी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे, अपील होने पर माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

11— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

Criminal Case No-360/15
Filing no-235103002672015